

2018/00093

93/2018


From No. III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत (मुकाम) उधरपुर के अधिकारी महाराजपुर के रम्य गारागा
अर्जदार डुकमारीपते राजपूत या जिलापु बनाम जयप्रभास सिंह या जयप्रसिद
 किस्म मुकदमा नं. 75 Keraur 93/2018 सन्

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए।
24.5.18	<p>अपीलांत के अपील क्रमांक 75 Keraur के तहत इस आदेश की प्रेषित शर्त के अनुसार 12 में उल्लेखित फार्म नाम उन्नेदासिंह डुकमारीपते या जयप्रसिद को म राजपूत के नाम दर्ज की अपीलांत के अर्जदार के अर्ज के देलान्त लेख पर नामानुकरण सं 132 विरायत का दर्ज करने समथ तामिलि प्रत्यारि हक कर अपीलांत को गोदी पुत्र अर्थात् हुए दर्ज किया गया ग्राम चंचापूर से जिलाजीम्य सिर्पे हकीकत करवा किया गया जहाँ अपीलांत को अर्जदार के अर्ज के मतीज के दर्ज कर लिया गया जा गलत है, इसलिए इस नामानुकरण सं 132 के अर्जदार को अपीलांत की अपील दर्ज रजि स्ट्र की जाकर रेखांक 3 का अर्जदार लिया गया रेखांक सं 3 का अर्जदार अर्जदार अर्जदार के अपीलांत के अर्जदार अर्जदार नामानुकरण सं 132 अर्जदार अर्जदार</p>	

<p>तारीख हुक्मा</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर या तारी अहकाम जो इस हु का तामिल में जारी हु</p>
	<p> क्रम: गामान्तरकरण क्र. 132 को अपील किया जाकर तहसील मातुबाई को हल निर्देश दे साथ पुनः प्राथमिक किया जाना है कि मूलक उम्मेदवार के विपक्ष कारिलान की जांच कर निम्नानुसार सुनवाई को प्रमुख के हस्त देने को सिद्ध है गामान्तरकरण की कार्यवाही करे। निर्णय आज दिनांक 24/5/18 को सजमे को सजमे को करे कराना को सजमे सुनवाई / मिलान प्रत्यक्ष सुनवाई को कराना के कर करे को तामिल कराना है। </p> <p style="text-align: center;">  S. H. D. M. Y. <small>जज उच्च न्यायालय कोलकाता-पश्चिम बंगाल</small> </p>	